90/ni

## संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय ,दुमका

# आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के उप सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, रांची का अधिसूचना संख्या– 1291, दिनांक– 20.10.2017 के आलोक में संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका की बैठक दिनांक– 21.03.2018 को पूर्वाह्न 12:00 बजे आयुक्त के सभागार में होगी। उक्त बैठक में सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों पर वातानुकूलित बस सेवा, सामान्य बस सेवा एवं ग्रामीण बस सेवा से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। परमिट से संबंधित आवेदन Online Spermit.Jharkhand.gov.in पर ही स्वीकार किये जायेंगे। बैठक हेतु Online आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04-03-2018 तक निर्धारित की गयी है। समय सारणी का प्रकाशन Spermit.Jharkhand.gov.in पर किया जायेगा। Online आपत्ति देने की अंतिम तिथि 11.03.2018 तक निर्धारित की गयी है।

1. Online आवेदन संबंधित वाहन के अद्यतन कागजातों यथा निबंधन पुस्तिका, अद्यतन कर प्रतीक, दुरूस्ती प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र (कम से कम दिनांक 21-03-2018 तक मान्य) एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र छाया–प्रति की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ upload होना चाहिए।
2. पूर्व से किसी मार्ग पर परमिट से आवृत वाहन पर परमिट प्रत्यार्पण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आवेदन विचारार्थ बैठक में रखा जाएगा तथा स्थायी परमिट से आवृत वाहनों का प्रत्यार्पण के पश्चात् केवल स्थायी परमिट के लिए ही प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा
3. आवेदन पत्र के साथ एक स्व–घोषणा पत्र देना होगा जिसमें सभी कागजातों की सत्यता, वाहन के स्पेयर के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होगा।
4. प्रतिहस्ताक्षर हेतु दिए जाने वाले आवेदन–पत्रों के साथ परमिट की प्रति, निबंधन–पुस्तिका, अद्यतन कर–प्रतिक, दुरूस्ती प्रमाण–पत्र, बीमा प्रमाण–पत्र एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र छाया–प्रति की स्व–हस्ताक्षरित प्रति upload किया जाना अनिवार्य होगा,
5. नवीकरण से संबंधित आवेदनों पर बैंक से वित प्रदत रहने पर संबंधित बैंक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र upload करना अनिवार्य होगा।
6. प्रस्तावित समय–सारणी पर की जाने वाली आपति संबंधित परमिट समय–सारणी की स्व–हस्ताक्षरित प्रति एवं मान्य शुल्क के साथ upload किए जाने पर ही आपत्तियों को विचार हेतु प्राधिकार की बैठक में सम्मिलित किया जाएगा। आपत्ति आवेदन में स्पष्ट रूप से आपत्ति बिंदु का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
7. नये क्रय किए गए वाहनों के आवेदन में क्रय प्रमाण पत्र के साथ बीमा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार स्वीकृत परमिटों के निर्गमन के पूर्व संबंधित वाहनों को भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है,
8. परमिट की स्वीकृति के उपरांत परमिट निर्गमन के समय संबंधित वाहन का सभी मूल कागजात सत्यापन हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी प्रकार के Offline आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
10. आवेदित मार्ग झारखण्ड़ गजट असाधारण अंक संख्या 620/राँची 21.08.2015 एवं 589/राँची दिनांक 15.07.2016 के अन्तर्गत होना चाहिए।
11. प्राधिकार की बैठक दिनांक 12.03.2008 के निर्णयानुसार एक वाहन पर एक स्थायी एवं एक अस्थायी परमिट का आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
12. प्राधिकार की बैठक दिनांक 17.01.2007 के निर्णयानुसार आवेदित वाहन का निबंधन चिन्ह झारखण्ड राज्य को होना अनिवार्य जिसका कर भुगतान इसी प्राधिकार क्षेत्र में किया जाता हो।

13. आवेदन के साथ आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट अच्छादित रहने संबंधित अथवा वाहन खाली रहने का शपथ पत्र रहना अनिवार्य हैं।

14. आवेदन–पत्रों के साथ परमिट की प्रति, निबंधन–पुस्तिका, अद्यतन कर–प्रतिक, दुरूस्ती प्रमाण–पत्र, बीमा प्रमाण–पत्र एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र छाया–प्रति की स्व–हस्ताक्षरित प्रति **upload** किया जाना अनिवार्य होगा।

15. प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.09.2012 के निर्णयानुसार 15 वर्ष पुरानी आयु के वाहनों पर परमिट हेतु विचार नही किया जायेगा।

16. समय सारणी के प्रकाशनोपरान्त सात दिनों के अन्दर आपत्ति प्राप्त होने पर ही आपत्ति पर विचार किया जायेगा।

17. समय सारणी स्वहस्ताक्षरित Computerised तीन प्रत्तियों में संलग्न किया जाय।

18. सभी कागजातों पर आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर रहना अनिवार्य हैं।

19. सभी आवेदको को अपने आवेदन में अपना पूरा नाम पत्ता के साथ मोबाईल नंबर एवं ईमेल पत्ता दर्ज करना अनिवार्य होगा।

20. उपरोक्त वर्णित शर्त्तो के अनुरूप आवेदन नही पर आवेदन स्वीकार नही किया जा सकेगा।

उपरोक्त दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण आवेदन पर प्राधिकार की बैठक में विचारार्थ नहीं रखा जाएगा।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार।

उप परिवहन आयुक्त –सह– सचिव
सं0प0 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका

ज्ञापांक 40 /परि0, दुमका दिनांक 19/02/18

प्रतिलिपि :– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आड्रे हाउस परिसर , राँची, (झारखण्ड) को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आशय की सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

उप परिवहन आयुक्त –सह– सचिव
सं0प0 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका

ज्ञापांक 40 /परि0, दुमका दिनांक 19/02/18

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी ,दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से इस आशय की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

उप परिवहन आयुक्त –सह– सचिव
सं0प0 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका

ज्ञापांक 40 /परि0, दुमका दिनांक 19/02/18

प्रतिलिपि :– श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, सदस्य, हंसडीहा, दुमका/श्री नीलकण्ठ सोनार, सदस्य, अफजलपुर, नाला, जामताडा को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध हैं कि निर्धारित तिथि को उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट किया जाय/ आयुक्त के निजी सहायक, संथाल परगना प्रमण्ड्ल, दुमका को सूचनार्थ एवं सूचनापट् प्रकाशन हेतु प्रेषित।

19/2/18

उप परिवहन आयुक्त –सह– सचिव
सं0प0 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका